



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236382
CG-DL-E-08062022-236382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]
No. 405]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 426(अ).—अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अन्तर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) नियम, 2022 के प्रारूप भारत सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 22 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभावित है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 22 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यठ) और खंड (ययक) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (1) और धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ड) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) नियम, 2022 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) से अभिप्रेत है।
- (ख) “डेकड जलयान” से अभिप्रेत है, एक निरंतर जलरोधी मौसम डेक वाला जलयान, जो पोताग्र से दुम्बाल तक फैला हुआ है।
- (ग) “विद्यमान जलयान” या “विद्यमान अन्तर्देशीय जलयान” से अभिप्रेत है, कोई अन्तर्देशीय जलयान, जो कोई नया अन्तर्देशीय जलयान नहीं है, जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (थ) के अधीन यथा परिभाषित “अन्तर्देशीय जलयान” की परिभाषा की परीधि के भीतर आता है।
- (घ) “प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण” से निम्न में से कोई अभिप्रेत है ;
- (i) जलयान के सकल टन भार में दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन
- (ii) जलयान के प्रकार का परिवर्तन
- (iii) प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजन या ईंधन में परिवर्तन
- (ङ) “नया अन्तर्देशीय जलयान” से कोई अन्तर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, जिसकी नौतल रखी गई है या जो इन नियमों के प्रवृत्त की तारीख को या उसके पश्चात् निर्माण के समान चरण में है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अनुपालन की सीमा.—(1) सभी मौजूदा अन्तर्देशीय जलयान, इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व मौजूदा अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे ;

परन्तु विद्यमान अन्तर्देशीय जलयान जो बड़े संपरिवर्तन या उपांतरण से गुजरते हैं, इन नियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेंगे, जहां तक इसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा व्यावहारिक माना जाता है ; परन्तु यह और कि प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजन या ईंधन के प्रकार आदि के परिवर्तन के मामले में, नए नियम केवल उन उपस्करों और प्रणालियों पर लागू होंगे।

परन्तु यह और भी कि विद्यमान जलयानों को इन नियमों के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर वहनीय अग्निशामक, अग्निशामक वस्त्रों, फायर एक्स, फायर बकेट और सैंडबॉक्स और इन नियमों में निर्दिष्ट सुरक्षा उपस्कर योजना के उपबंध की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

(2) किसी भी नए अन्तर्देशीय जलयान का मालिक और मास्टर, यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान का निर्माण, रखरखाव और संचालन इन नियमों की अपेक्षाओं के अधीन किया गया है यह जलयान अपनी इच्छित सेवा के लिए उपयुक्त है।

(3) किसी भी नए अन्तर्देशीय जलयान को अधिनियम और अन्तर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के अधीन सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान अन्तर्देशीय जलयान या वह उपस्कर जिसे अन्तर्देशीय जलयान को ले जाना चाहिए, के भौतिक डिजाइन सहित सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, या वे जो प्रकृति में परिचालनात्मक या प्रक्रियात्मक हैं ;

(4) उप-नियम (1) से (3) के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के जलयानों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं लागू कर सकती है।

(5) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अधिनियम के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक खुद को संतुष्ट करेगा कि वह प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाओं का साक्ष्य है कि अन्तर्देशीय जलयान इन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाएगा।

4. उपस्कर मानक और मार्गदर्शन.—उपस्कर या मशीनरी का कोई विशेष भाग जो अन्तर्देशीय जलयानों के साथ प्रदान किया जाएगा या जलयान पर ले जाया जाएगा, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) आदि के अनुसार होगा।

5. फायर पंप.—(1) प्रत्येक डेक वाले जलयान को कम से कम एक बिजली संचालित पंप प्रदान किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है या उन जलयानों के मामले में जिनकी प्रणोदक शक्ति 375 किलोवाट से अधिक नहीं है, मुख्य इंजन संचालित जहां इंजन को हटाया जा सकता है और यात्री जलयानों में कम से कम दो बिजली चालित पंप उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनमें से एक स्थायी रूप से स्थापित है।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए सैनिटरी, गिट्टी, बिल्ज या सामान्य सेवा पंपों को अग्नि पंप के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

6. फायर पंप की क्षमता.—कार्गो जलयानों के लिए फायर पंपों की न्यूनतम क्षमता 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए, और यात्री जलयानों के लिए 20 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। 12 क्यूबिक मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए पंप क्षमता क्रमशः 6 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा और 12 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा तक कम हो सकती है, या वैकल्पिक रूप से, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा एक पोर्टेबल इंजन चालित पंप स्वीकार किया जाता सकता है। बिना किसी मशीनरी के गैर-स्वचालित नौकाओं के मामले में, एक सुवाह्य इंजन चालित फायर पंप पर्याप्त हो सकता है।

7. फायर पंप और फायर मेन की व्यवस्था.—(1) फायर पंप खंड की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि पंप सेवा में आने वाले सबसे हल्के ड्राफ्ट पर कुशलता से काम करेगा।

(2) कार्गो जलयानों में, यदि मुख्य फायर पंप तेल से चलने वाले बॉयलर या आंतरिक दहन प्रकार की प्रणोदान मशीनरी वाले स्थान पर स्थित है, तो एक आपातकालीन फायर पंप प्रदान किया जाएगा और आपातकालीन पंप और इसकी शक्ति का स्रोत और समुद्री कनेक्शन के बाहर उस स्थान पर स्थित होगा, जहां मुख्य अग्नि पंप स्थित है :

परन्तु उप-नियम (2) के अधीन उपलब्ध किया गया आपातकालीन फायर पंप बिजली द्वारा संचालित होता है, तो 12 मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए पंप की क्षमता कम से कम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा और 6 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।

परन्तु यह और कि उप-नियम (2) के अधीन उपलब्ध कराया गया आपातकालीन फायर पंप हाथ से संचालित होता है, तो उससे कम 10 मिमी व्यास के एक नोजन और नली के साथ उपलब्ध किया जाना चाहिए जो जलयान के किसी भी हिस्से पर निर्देशित किया जा सके।

परन्तु यह और भी कि यदि स्थायी रूप से स्थापित मुख्य फायर पंप उपलब्ध हो ; तो एक वहनीय आपातकालीन फायर पंप स्वीकार किया जा सकता है।

(3) यात्री जलयानों में, अलग-अलग मुख्य डिब्बों में फायर पंप स्थापित किए जाने हैं ताकि मुख्य डिब्बे में आग या बाढ़ की स्थिति में एक पंप उपलब्ध हो और एक पंप वहनीय प्रकार का हो।

(4) यदि आपातकालीन फायर पंप प्रदान किया जाता है, तो मुख्य फायर पंप वाले मशीनरी स्पेस के भीतर फायर मेन के सेक्शन को अलग करने के लिए आइसोलेटिंग वाल्व या बाकी फायर मेन से पंपों को आसानी से सुलभ और टिकाऊ स्थिति में फिट किया जाएगा।

8. फायर मेन और हाइड्रेंट.—(1) 24 मीटर लंबाई और उससे अधिक के जलयानों में, एक फायर मेन उपलब्ध कराया जाना है ताकि कम से कम पानी की बौद्धार जलयान के किसी भी हिस्से तक पहुंच सके। यात्री जलयानों में, जलयान के किसी भी हिस्से पर अलग-अलग स्थानों में कम से कम दो हाइड्रेंट पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बोर्ड पर बिना मशीनरी के गैर-स्वचालित नौकाओं के मामले में, फायर मेन प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) गर्मी से आसानी से अप्रभावी होने वाली सामग्री का उपयोग आग बुझाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और जहां स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है, उन्हें आंतरिक और बाहरी रूप से जस्ती किया जाना चाहिए।

(3) सभी फायर पंपों के संयोजन में राहत वाल्व प्रदान किए जाएंगे यदि पंप जल सेवा पाइप, हाइड्रेंट और होसेस के डिजाइन दबाव से अधिक दबाव विकसित करने में सक्षम हैं और इन वाल्वों को इस तरह से रखा और समायोजित किया जाना है कि फायर मेन सिस्टम के किसी भी हिस्से में अत्यधिक दबाव न पड़े।

(4) हाइड्रेंट और वाल्व या कॉक्स की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वे हमेशा आसानी से उपलब्ध हों।

9. फायर होसेस और नोजल.—(1) स्वीकृत फायर होसेस गैर-नाशयोग्य सामग्री के होंगे और यह लंबाई में पर्याप्त होने चाहिए ताकि अपेक्षित उपयोग के समय किसी भी स्थान से इन पर पानी की बौछार डाली जा सके।

(2) प्रत्येक होज को एक नोजल और आवश्यक कपलिंग प्रदान किया जाएगा।

(3) इस अनुबंध में “फायर होसेस” के रूप में निर्दिष्ट होज, किसी भी आवश्यक फिटिंग और टूल्स के साथ, जल सेवा हाइड्रेंट या कनेक्शन के पास विशिष्ट स्थितियों में उपयोग के लिए तैयार रखे जाएंगे।

(4) फायर होसेस की लंबाई कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए, लेकिन निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए:

(क) मशीनरी संबंधी स्थान में 15 मीटर

(ख) अन्य स्थानों और खुले डेक में 20 मीटर

(5) जब तक जलयान में प्रत्येक हाइड्रेंट के लिए एक होज और नोजल प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक होज कपलिंग और नोजल की पूर्ण अंतर-परिवर्तनीयता होगी।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए, होज का व्यास अधिकतम 64 मिमी और न्यूनतम 38 मिमी होगा और उन्हें पंक्तिबद्ध होना चाहिए।

(7) कम से कम 12 (मिमी) बोर के दोहरे उद्देश्य वाले नोजल (जेट या स्प्रे) के साथ कम से कम दो फायर होज प्रदान किए जाने चाहिए और इन्हें हाइड्रेंट के पास रखे होज बॉक्स में रखा जाना चाहिए।

10. सुवाह्य अग्निशामक यंत्र.—(1) डिब्बों में आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक का माध्यम उपयुक्त होना चाहिए जिनमें वे प्रयुक्त करने का आशय रखते हैं।

(2) सभी अग्निशामक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होने चाहिए।

(3) अपेक्षित सुवाह्य शुष्क पाउडर अग्निशामकों की क्षमता 5.0 किग्रा से कम नहीं होनी चाहिए और अन्य अग्निशामकों में कम से कम कम 5.0 किग्रा शुष्क पाउडर अग्निशामक के बराबर आग बुझाने की क्षमता होनी चाहिए।

(4) फोम अग्निशामक, जहां आवश्यक हो, की न्यूनतम क्षमता 9 लीटर होनी चाहिए।

(5) अग्निशामकों को आसानी से सुलभ स्थिति में रखा जाना चाहिए।

(6) उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशामक यंत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) निम्नलिखित स्थानों पर, जैसा लागू हो, एक वहनीय अग्निशामक उपलब्ध कराया जाएगा :

(क) व्हीलहाउस में ;

(ख) आवास स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब ;

(ग) आवास से सीधे पहुंच योग्य नहीं होने पर हीटिंग या खाना पकाने के उपकरण या समान अग्नि जोखिम वाले किसी अन्य उपकरण वाले सर्विस स्पेस के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब ;

(घ) मशीनरी स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब ;

(ङ) मशीनरी स्पेस में उपयुक्त स्थान या डेक के नीचे इस तरह से कि कोई भी अग्निशामक यंत्र से पैदल दूरी 10 मीटर की दूरी से अधिक न हो।

(च) यात्री, जलयानों में, एक अतिरिक्त उपयुक्त अग्निशामक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ;

(i) यात्री क्षेत्रों में सकल भू क्षेत्र की 120 वर्ग मी या उसके भाग की प्रत्येक इकाई

(ii) 10 केबिनों का प्रत्येक समूह या उसका भाग ।

(8) कार्बनडाइऑक्साइड अग्निशामक आवासीय स्थानों में नहीं होना चाहिए ।

11. मशीनरी स्थाहनों में गैर-सुवाह्य अग्निशामक.— जलयानों की लंबाई 30 मीटर से अधिक और इंजन की कुल शक्ति 750 किलोवाट और उससे अधिक होने की स्थिति में, मशीनरी स्पेस और अन्य जलयानों में कम से कम 45 लीटर क्षमता का कम से कम एक फोम अग्निशामक होना चाहिए मुख्य मशीनरी स्थान में 15 किलो क्षमता का ड्राई पाउडर अग्निशामक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

12. स्थायी अग्नि संसूचन और स्थायी अग्निशामक प्रणाली.— (1) मिश्रित सामग्री से निर्मित कार्गो जलयानों में, मुख्य मशीनरी स्थान जहां कुल बिजली उत्पादन 375 किलोवाट और उससे अधिक है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाली एक स्थायी अग्नि संसूचन प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए।

(2) 550 किलोवाट और उससे अधिक के कुल बिजली उत्पादन वाले सभी यात्री जलयानों में मुख्य मशीनरी स्थान में ऐसी स्थायी अग्निशामक प्रणाली प्रदान की जानी है ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट कुल बिजली उत्पादन के साथ मुख्य मशीनरी स्थान जो लगातार मानवयुक्त नहीं हैं, उन्हें अग्नि संसूचन और अलार्ग सिस्टम प्रदान किया जाना है ।

(4) स्थायी अग्निशामक एजेंट कार्ब डाइऑक्साइड, पानी या अन्य स्वीकार्य एजेंट जैसा एचएफसी 227, आईजी-541 और एफके-5-1-12 हो सकते हैं ।

13. फायरमैन की पोशाक.— (1) स्लीपिंग केबिनों के साथ 45 मीटर और उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक यात्री जलयान में कम से कम एक फायरमैन की पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) एक फायरमैन की पोशाक में निम्न शामिल होंगे-

(क) कार्मिक उपस्कर जिसमें शामिल हैं-

(i) त्वचा को गर्मी से बचाने के लिए सुरक्षात्मक सामग्री वाले वस्त्र

(ii) रबर के जूते और दस्ताने या अन्य विद्युतीय रूप से कोई संवाहक सामग्री नहीं होनी चाहिए ;

(iii) प्रभाव के दौरान प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने वाला मजबूत हेलमेट ;

(iv) तीन घंटों की अवधि में जलने वाले अनुमोदित प्रकार का कोई विद्युत सुरक्षा लैंप (हस्तगत लालटेन) ;
और

(v) एक कुल्हाड़ी ; और

(ख) एक स्वीकृत प्रकार के श्वास उपकरण, स्पेयर चार्ज सहित या श्वास वायु कंप्रेसर

(3) 45 मीटर और उससे अधिक के प्रत्येक जलयान को दो श्वास तंत्र के साथ स्पेयर चार्ज या श्वास वायु कंप्रेसर प्रदान किया जाना है, जिसमें उप-नियम 2 (ख) में आवश्यक श्वास तंत्र शामिल हो सकता है ।

14. अग्नि कुल्हाड़ी.— 15 मीटर से अधिक लंबे प्रत्येक जलयान को कम से कम एक अग्नि कुल्हाड़ी प्रदान की जाएगी ।

15. अग्नि बाल्टी.— जलयान की प्रत्येक 10 मीटर लंबाई के लिए रस्सी के साथ कम से कम एक अग्नि बाल्टी प्रदान की जानी चाहिए ।

16. स्कूप के साथ रेत का डब्बा.— प्रत्येक जलयान में मशीनरी और बायलर स्पेस में स्कूप के साथ कम से कम एक रेत का डब्बा प्रदान किया जाना चाहिए और रेत की मात्रा 0.076 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए । 10 मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए रेत के डब्बों की क्षमता 50% कम की जा सकती है ।

17. रोल-ऑन या रोल ऑफ जलयानों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं.— (1) जब मोटर वाहनों को उनके टैंकों में अपने स्वयं के उपयोग के लिए ईंधन के साथ ले जाने का इरादा है, तो प्रत्येक वाहन डेक पर दो सुवाह्य अग्निशामक उपलब्ध

कराए जाएंगे, जिनमें से एक को आगे के हिस्से में और एक को बाद के हिस्से में रखा जाएगा। यदि डेक पर वाहनों की संख्या 50 से अधिक है, तो प्रत्येक वाहन डेक पर चार सुवाह्य अग्निशामक उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) संलग्न रो-रो डेक स्थान को एक अनुमोदित निश्चित दबाव वाले पानी के छिड़काव प्रणाली के साथ फिट किया जाना है और स्कूपर्स को फिट किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा पानी तेजी से बोर्ड के ऊपर से निकल जाए।

18. टैंकों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता.— पेट्रोलियम तेल, रसायन और तरलीकृत गैसों को ले जाने वाले टैंकों में अग्निशमन के प्रावधान नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

19. सुरक्षा उपस्कर योजना.— 24 मीटर से अधिक लंबाई के अन्तर्देशीय जलयानों में विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों के स्थान को दर्शाने वाले अनुमोदित सुरक्षा उपकरण योजना की एक प्रति बोर्ड पर प्रदर्शित होनी चाहिए और आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी अग्नि नियंत्रण और अग्निशमन उपस्कर बोर्ड पर लगाने जाए जाते हैं।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 426(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 141 (E) dated the 22nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd February, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clauses (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Inland Vessels Act, 2021(24 of 2021);

(b) "Decked vessel" means vessel with a continuous watertight weather deck that extends from stem to stern;

(c) "existing vessel" or "existing inland vessel" means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition of "inland vessel" as defined in clause (q) of section 3 of the Act;

(d) "major conversion or modification" means any of the following-

(i) change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per cent.;

(ii) change of vessel type; and

(iii) change of propulsion system or main engines or type of fuel.

(e) "new inland vessel" means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming into force of these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Compliance by existing inland vessels.- (1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules:

Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified under these rules, as may be considered necessary by the Designated Authority:

Provided further that in the case of change of propulsion system or main engines or type of fuel, the new rules shall apply to that equipment and systems only:

Provided also that existing vessels shall comply with the requirements of provision of Portable fire extinguishers, fire fighters outfits, fire axe, fire buckets and sandbox and the safety equipment plan as specified in these rules within one year of coming into force of these rules.

(2) The owner and master of any new inland vessel shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated under in accordance with the requirements of these rules and the vessel is suitable for its intended service.

(3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Act and the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the safety requirements including the physical design of the inland vessel or equipment that the inland vessel shall carry or those which are operational or procedural in nature,:

(4) Notwithstanding sub rule (1) to (3), the State Government may apply requirements in additional to any category of vessels.

(5) For the purpose of these rules, the Surveyor appointed under the Act shall satisfy himself that there is evidence of procedures in place to demonstrate that the inland vessel shall be operated in accordance with the requirements under these rules.

4. Equipment standards and guidance.- Any particular piece of equipment or machinery that the inland vessels shall be provided with or carried onboard shall be in accordance with a national or international standard such as the Bureau of Indian Standards (BIS) or the International Organization for Standardisation (ISO).

5. Fire pumps.- (1) Every decked vessel shall be provided with at least one power operated pump which may be independently driven or vessels with propulsive power not more than 375 kW, where engine can be declutched and passenger vessels are to be provided with at least two power driven pumps, one of which is permanently installed.

(2) For the purpose of this rule, sanitary, ballast, bilge or general service pumps may be accepted as fire pumps.

6. Capacity of fire pump.- The minimum capacity of fire pumps shall not be less than be 10 cubic metres per hour for cargo vessels, and not less than 20 cubic metres per hour for passenger vessels. The pump capacities may be reduced to 6 cubic metres per hour and 12 cubic metres per hour, respectively for vessels of length less than 12 metres or alternatively a portable engine driven pump may be accepted by the Designated Authority and in the case of non-self propelled barges without any machinery on board, a portable engine driven fire pump may be sufficient.

7. Arrangement of fire pumps and fire main.- (1) The fire pump suction shall be so arranged that the pump shall operate efficiently at the lightest draught likely to be encountered in service.

(2) In cargo vessels, if the main fire pump is located in the space containing oil fired boiler or internal combustion type propelling machinery, an emergency fire pump shall be provided and the emergency pump and its source of power and sea connection shall be situated outside the space where the main fire pump is located:

Provided that if the emergency fire pump as provided under sub-rule (2) is operated by power, the pump capacity shall be at least 10 cubic metres per hour and 6 cubic metres per hour for vessels of less than 12 metres in length:

Provided further that if the emergency fire pump as provided under sub-rule (2) is manually operated, it shall be provided with hose and a nozzle of at least 10 millimeters diameter capable of being directed on to any part of the vessel:

Provided also that if a permanently installed main fire pump is available, a portable emergency fire pump may be accepted.

(3) In passenger vessels, the fire pumps are to be installed in separate main compartments so that one of the pumps shall be available in case of fire or flooding in a main compartment and one of the pumps may be portable type.

(4) If the emergency fire pump is provided, isolating valves to separate the section of the fire main within the machinery space containing the main fire pump or pumps from the rest of the fire main shall be fitted in an easily accessible and tenable position outside the machinery space.

8. Fire main and hydrant.- (1) In vessels of 24 metres length and above, a fire main is to be provided so that at least one jet of water may reach any part of the vessel and in passenger vessels, any point of the vessel shall be reached from at least two hydrants in different locations and in the case of non-self-propelled barges without machinery on board, fire main need not be provided.

(2) Materials readily rendered ineffective by heat are not to be used for fire mains and where steel pipes are used they are to be galvanised internally and externally and cast iron pipes are not to be used for fire mains.

(3) Relief valves shall be provided in conjunction with all fire pumps, if the pumps are capable of developing a pressure exceeding the design pressure of the water service pipes, hydrants and hoses and these valves are to be so placed and adjusted as to prevent excessive pressure in any part of the fire main system.

(4) The positions of hydrants and valves or cocks are always readily accessible.

9. Fire hoses and nozzles.- (1) Approved fire hoses shall be of non-perishable material and shall be sufficient in length to project a jet of water to any of the space in which they may be required to be used.

(2) Each hose shall be provided with a nozzle and the necessary couplings.

(3) Hoses specified as “fire hoses” shall together with any necessary fittings and tools be kept ready for use in conspicuous positions near the water service hydrants or connections.

(4) Fire hoses shall have a length of at least 10 metres, but not more than-

- (a) 15 metres in machinery spaces; and
- (b) 20 metres in other spaces and open decks.

(5) Same size hose and nozzle is provided for each hydrant in the vessel, which shall be inter-changeable at any place of the vessel.

(6) For the purpose of this rule, the hose diameter shall be maximum of 64 millimeters and minimum of 38 millimeters and they shall be lined.

(7) At least two fire hoses with dual purposes nozzles (jet or spray) of not less than 12 millimetres bore shall be provided and these are to be stowed in hose boxes placed close to the hydrants.

10. Portable fire extinguishers.- (1) The extinguishing medium employed shall be suitable for extinguishing fires in the compartments in which they are intended to be used.

(2) All fire extinguishers are to be of National or International Standards.

(3) The capacity of required portable dry powder fire extinguishers shall not be less than 5.0 kilograms and other extinguishers shall have a fire extinguishing capability at least equivalent to that of a 5.0 kilograms dry powder fire extinguisher.

(4) Foam fire extinguishers, where required are of a minimum capacity of 9 litres.

(5) Extinguishers are to be stowed in readily accessible positions

(6) Portable fire extinguishers of appropriate type shall be provided.

(7) One portable fire extinguisher shall be provided in the following locations, as applicable-

- (a) in the wheelhouse;
- (b) close to each entrance of accommodation spaces;
- (c) close to each entrance of service spaces containing heating or cooking equipment or any other equipment having similar fire risk when not directly accessible from the accommodation;
- (d) close to each entrance to machinery spaces;
- (e) in suitable position below deck in the machinery space so that no location in space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher;
- (f) in passenger vessels, one additional appropriate fire extinguisher shall be provided for-
 - (i) each unit of 120 square metres or part thereof of the gross floor area in passenger areas;
 - (ii) each group of 10 cabins, or part thereof.

(8) Carbon dioxide fire extinguishers shall not be placed in accommodation spaces.

11. Non-Portable fire extinguishers in machinery spaces.- In case of vessels exceeding 30 metres length and having total power of engines at 750 kW and above, at least one foam extinguisher of capacity of not less than 45 litres shall be provided in the machinery space and in other vessels a 15 kilograms capacity dry powder extinguisher shall be provided in the main machinery space.

12. Fixed fire detection and fixed fire extinguishing system.- (1) In cargo vessels constructed of composite material, main machinery space where total power output is 375 kW and above are to be provided with a fixed fire extinguishing system complying with National or International Standards.

(2) In all passenger vessels with total power output of 550 kW and above, it shall be provided with a fixed fire extinguishing system in main machinery space.

(3) Main machinery space with total power output as specified in sub-rule (1) and (2) which are not continuously manned are to be provided with a fire detection and alarm system.

(4) The fixed fire extinguishing agents may be of Carbon dioxide, water or other acceptable agents such as HFC 227, IG-541 and FK-5-1-12.

13. Fireman's outfit.- (1) Every passenger vessel of length of 45 metres and above with sleeping cabins shall be provided with at least one fireman's outfit.

(2) A fireman's outfit shall consist of-

(a) personnel equipment comprising-

- (i) protective clothing of material to protect the skin from the heat radiating from the fire and from burns and scalding by steam and the outer surface of protective clothing shall be water-resistant;
- (ii) boots and gloves of rubber or other electrically non conducting material;
- (iii) a rigid helmet providing effective protection against impact;
- (iv) an electric safety lamp (hand lantern) of an approved type with a minimum burning period of three hours; and
- (v) an axe; and

(b) breathing apparatus of an approved type with spare charges or breathing air compressor.

(3) Every vessel of 45 metres and above are to be provided with two breathing apparatus with spare charges or breathing air compressor, which may include the breathing apparatus required under sub rule 2(b).

14. Fire Axe.- Every vessel exceeding 15 meters in length shall be provided with at least one fire axe.

15. Fire Buckets.- Minimum one fire bucket with lanyard shall be provided for every 10 metres of length of the vessel.

16. Sand box with scoop.- In every vessel at least one sand box with scoop in machinery and boiler space shall be provided and quantity of sand shall not be less than 0.076 cubic meters and for vessels of less than 10 metres length the capacity of sand box may be reduced by 50 per cent.

17. Additional requirements for roll-on or roll off vessels.- (1) When it is intended to carry motor vehicles with fuel for their own use in their tanks, two portable extinguishers shall be provided on each vehicle deck, one of which is to be positioned in the fore part and one in the after part of the vessel and four portable extinguishers shall be provided on each vehicle deck if the number of vehicles on the deck exceeds 50.

(2) Enclosed ro-ro deck spaces are to be fitted with an approved fixed pressure water spraying system and scuppers are to be fitted so as to ensure that such water is rapidly discharged overboard.

18. Additional requirement for tankers.- The provisions for fire-fighting in tankers carrying petroleum oils, chemicals and liquefied gases are to comply with the requirements as may be specified by the Designated Authority.

19. Safety equipment plan.- Inland vessels more than 24 metres in length are to have a copy of approved safety equipment plan displayed on board showing the location of various life saving appliances and all the fire control and fire fighting appliances fitted or carried on board to be used in an emergency.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)